न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ. भंवर लाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 02/2023
दायर दिनांकः 04.01.2023
निर्णय दिनांक 13.02.2024

—ःअनवानः—

राज्य सरकार जरिये, विजय सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, कुम्भलगढ

—— प्रार्थी

—ःबनामः—

श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री गंगाबक्श, निवासी लाडपुरा, सीकर हाल प्रो0 मै0 श्री बालाजी आशीर्वाद होटल, एन0एच0 08, गोमती—ब्यावर राजमार्ग, ग्राम लाम्बोडी, तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

अप्रार्थी द्वारा एल०पी०जी० घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा 17 घरेलू एल०पी०जी० गैस सिलेण्डर मय एल०पी०जी० गैस एवं रबर गैस पाईप, रेगुलेटर को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री महावीर प्रसाद अप्रार्थी (अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित)

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.12.2022 को हमराह श्री संदीप माथुर जिला रसद अधिकारी, सोहन सिंह, श्री लोकेश जोशी प्रवर्तन निरीक्षक जिले में घरेलू एलपीजी गैस के व्यवसायिक उपयोग, भण्डारण एवं विक्रय की जांच हेतु जिले में दौरे पर थे। इस दौरान सूचना मिली की मै0 श्री बालाजी आशीर्वाद होटल, एन0एच0 08 गोमती—ब्यावर राजमार्ग, ग्राम लाम्बोडी तहसील गढबोर जिला राजसमन्द द्वारा घरलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों को व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस पर में एवं निरीक्षण दल जांच कार्यवाही हेतु मै0 श्री बालाजी आशीर्वाद होटल, एन0एच0 08

न्यायालय जिला कलक्टर

गोमती–ब्यावर राजमार्ग, ग्राम लाम्बोडी तहसील गढबोर जिला राजसमन्द पर पहुंचे। वक्त जॉच निरीक्षण के दौरान श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री गंगाबक्श, निवासी लाडपुरा, सीकर हाल प्रो0 मै0 श्री बालाजी आशीर्वाद होटल, एन0एच0 08, गोमती–ब्यावर राजमार्ग, ग्राम लाम्बोडी, तहसील गढबोर जिला राजसमन्द का मालिक एवं संचालक होना बताया। मौके पर इनके साथ होटल परिसर में प्रवेश कर वहा संचालित रसोई में निरीक्षण किया गया। जहॉ 04 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन के भटियों से जुड़े हुए पाये जिन पर भोजन सामग्री तैयार की जा रही थी परिसर के अन्य कमरे में निरीक्षण करने पर 13 घरेलू एल0पी0जी0 के और सिलेण्डर पाये गये। उक्त कुल 17 एल0पी0जी0 सिलेण्डरों के बारे में अप्रत्यर्थी महावीर प्रसाद से पूछताछ की गई, जिस पर अप्रार्थी महावीर प्रसाद ने बताया की उक्त 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर स्वयं के है, जिनका व्यवसायिक रूप से उपयोग उक्त होटल में भोजन बनाने में करता हूॅ। अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि उक्त एल0पी0जी0 घरेलू गैस सिलेण्डर मै0 छोगाला श्याम गैस एजेन्सी द्वारा सप्लाई किये जाते है। इस पर अपार्थी से मै0 छोगाला श्याम गैस एजेन्सी से जारी बिल गेटपास, बाउचर उपभोक्ता डायरी एवं अन्य वैध दस्तावेज मांगे गये, जिस पर अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, ना ही कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया। प्रथम दृष्टयां अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 172.2 किलोग्राम एल0पी0जी0 गैस, 01 रेगुलेटर एवं 01 रबर पाईप जब्त किये जाकर श्री सोहनलाल कुम्हार पुत्र नानालाल कुम्हार निवासी गांवगुडा हाल तहसील प्रतिनिधि मैसर्स भारत गैस, कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द को ठीक तरीके से सिपुर्द किये जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार करा पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर जब्त किए गए घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उनमें संग्रहित गैस का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	गैर सिलेण्डर पर अंकित संख्या	तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का प्रकार	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का (बाट, माप विभाग से प्रमाणित) मशीन से तोलने पर कुल वजन	सिलेण्डर मे उपलब्ध गैस का वजन किलोग्राम में
1	430965	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.400	29.500	14.100
2	6493286	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.400	29.600	14.200
3	0866205	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.900	30.000	14.100
4	3357515	आई.ओ.सी.	डीओएम	16.400	30.500	14.100
5	871778 E	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.600	29.800	14.200
6	096754E	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.700	29.900	14.200
7	14526	आई.ओ.सी.	डीओएम	16.500	30.000	13.500
8	084639	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.600	30.000	14.200
9	254234	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.400	29.500	14.100

न्यायालय जिला कलक्टर

10	460997	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.900	30.000	14.100
11	561375	आई.ओ.सी.	डीओएम	16.400	29.000	12.600
12	059907	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.700	18.000	2.300
13	797359	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.600	15.600	00.000
14	102091	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.100	15.100	00.000
15	198148T	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.600	25.000	9.400
16	15927T	आई.ओ.सी.	डीओएम	16.500	16.500	00.000
17	262514	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.900	23.000	7.100
योग				268.600	441.000	172.200

श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री गंगाबक्श, निवासी लाडपुरा, सीकर हाल प्रो0 मै0 श्री बालाजी आशीर्वाद होटल, एन0एच0 08, गोमती–ब्यावर राजमार्ग, ग्राम लाम्बोडी, तहसील गढबोर जिला राजसमन्द द्वारा घरेलू एवं व्यवसायिक गैस का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया, जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का उल्लंघन किया है। उपरोक्त आदेश ई0सी0 एक्ट 1955 की धारा 3 के तहत जारी किये गये है। अतः इन आदेशों की उल्लंघन ई0सी0 एक्ट 1955 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा घरेलू, 17 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 172.2 किलोग्राम एल0पी0जी0 गैस, 01 रेगुलेटर एवं 01 रबर पाईप को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 20.03.2023 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत दिनांक 28–12–2022 को परिवाद प्रस्तुत किया था। उक्त परिवाद के अनुसार दिनांक 14–12–2022 को निरीक्षण के दौरान मुझ महावीर प्रसाद पुत्र श्री गंगाबक्ष जी की होटल मैसर्स श्री बालाजी आशिर्वाद होटल पर मौके पर वक्त निरीक्षण करने पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डियन के भट्टियो से झुडे हुये तथा अन्य कमरे में 13 घरेलू एल.पी.जी के अलग और सिलेण्डर पाये गये। इस प्रकार 17 घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डरो के बारे में व्यवसायिक उपयोग किये जाने के बारे में बताया। जिस पर मुझ महावीर प्रसाद द्वारा वक्त निरीक्षण यह बताया गया कि मेरा होटल का व्यवसाय है एवं व्यवसायिक सिलेण्डर खत्म हो जाने के कारण 4 सिलेण्डर अतिआवश्यक समझ कर भट्टियो पर लगाये थे। जो सिलेण्डर लगाये थे वो सिलेण्डर मेरे घर से लाकर लगाये थे क्योकि उस समय कस्टमर होटल पर खाना खा रहे थे तथा कस्टमर अधिक होने से उक्त सिलेण्डर लगाये गये थे। एवं शेष 13 सिलेण्डर जो अन्य कमरे में रखे हुये थे जिसके बारे में मुझे उस समय कोई जानकारी नही थी क्योकि मैं उसी समय शादी समारोह से लौटा था। जिस कारण मैं मौके पर सन्तोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका था। बाद में जानकारी करने पर वो 13

कार्यालय जिला कलक्टर

सिलेण्डर किसी गैस एजेन्सी के थे जिनका दुरूपयोग नही किया था। जो उनकी गाडी खराब होने की वजह से मेरी होटल के कमरे में सुरक्षित रखवाये गये थे जो वक्त मौके पर कमरे में रखे हुये थें। जिसका स्पष्टिकरण इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ नथी हैं। उक्त सिलेण्डरो का मेरे द्वारा कोई व्यवसायिक उपयोग नही किया जा रहा था। न ही व्यवसायिक उपयोग के लिये ही रखे हुये थें। जो 4 सिलेण्डर भट्टियो पर लगे हुये थे उक्त सिलेण्डर मुझ प्रार्थी के घरेलू उपयोग के थे लेकिन निरीक्षण के दौरान होटल पर व्यवसाईक सिलेण्डर खत्म होने से कस्टमर के खाना बनाना अतिआवश्यक होने से घर से लाकर लगाये थें। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त चार सिलेण्डर जो कि वक्त निरीक्षण भट्टियो पर लगे हुये थे, के संबंध में न्यायहित में जो भी जुर्माना राशि हो मै प्रार्थी जमा करवाने के तैयार व तत्पर हूँ एवं उक्त राशि जमा कर न्यायहित में सिलेण्डरो को मुझ को सिपुर्द करवाया जाने का आदेश प्रदान करवाया जाकर उक्त प्रकरण की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रोप करवाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी पेरोकार सरकार के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी के पास से जब्त शुदा उक्त 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर उसके स्वय के है, जिनका व्यवसायिक रूप से उपयोग उक्त होटल में भोजन बनाने में करता हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर मय 172.2 किलोग्राम गैस को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी स्वीकार किया है कि जुर्माना राशि जमा कराने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा घरेलु एल0पी0जी0 सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जाना प्रमाणित हैं। इसलिए जुर्माना आरोपित करने के पश्चात ही जब्तशुदा 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर छोडे जावें।

प्रार्थी पेरोकार की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग किया है मौके पर 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर जब्त हुए है, जिसमें से 04 का व्यसायिक उपयोग किया गया है तथा 13 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर अन्य कमरे से बरामद हुए है, जिसके संबंध में अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अपना होना क्लेम नही किया हैं। अप्रार्थी के जवाब से यह भी प्रमाणित होता है उसके द्वारा न्यायालय में अपने जवाब में 04 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर का उपयोग करना स्वीकार किया है तथा जुर्माना राशि जमा कराने के लिए सहमति दी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा अपनी त्रुटी न्यायालय के समक्ष प्रथम सुनवाई पर ही स्वीकार कर ली गई हैं। जो सामान्य परिस्थिति में अन्य लोगो द्वारा उक्त प्रकरणों में स्वीकार नही किया जाता हैं। ऐसी स्थित में अप्रार्थी पर

न्यायालय जिला कलक्टर

जुर्माना आरोपित कर उक्त 04 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक उपयोग किया जाना प्रमाणित पाये जाने से उक्त 04 सिलेण्डरों पर नियमानुसार प्रति सिलेण्डर 1500/– जुर्माना राशि कुल 6000/– अक्षरे छः हजार रूपये राजकोष में जमा होने पर उक्त जब्तशुदा 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों, 01 रेगुलेटर एवं 01 रबर पाईप को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नही कराने पर उक्त 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर, 01 रेगुलेटर एवं 01 रबर पाईप को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी से जब्तशुदा 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरो में से 04 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक उपयोग पर नियमानुसार प्रति सिलेण्डर 1500/– जुर्माना राशि कुल 6000/– अक्षरे छः हजार रूपये राजकोष में जमा होने पर उक्त जब्तशुदा 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त मामले में जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि जुर्माना राशि जमा होने पर उक्त जब्तशुदा 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों, 01 रेगुलेटर एवं 01 रबर पाईप को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जावें और राशि जमा नही कराने पर उक्त 17 एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर, 01 रेगुलेटर एवं 01 रबर पाईप को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

(डॉ.भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(डॉ.भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद